राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 512 : वरुणालय फेज – II : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1490 / 2015 / 28 14754 दिनांकः 23.12.2015

श्री जगदम्बा प्रसाद दूबे,
झुग्गी सं0 बी–58 / 825,
रामा रोड,
नई दिल्ली–110015.

संयुक्त निदेशक (राजस्व) प0 / उ0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री जगदम्बा प्रसाद दूबे, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 15–10–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 23.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री जगदम्बा प्रसाद दूबे, उपस्थित हुए एवं श्री विजय कुमार शर्मा, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)–II, पंजागी बाग, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 23.09.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 15–10–2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने बताया कि सहायक जनसूचना अधिकारी ने उन्हें गलत सूचना प्रदान की है । सहायक जनसूचना अधिकारी ने बताया कि सम्बद्ध फाईल क्षेत्रीय अभियन्ता (प0)–II, मोती नगर कार्यालय में होगी क्योंकि 15.–20 साल पहले जल कनैक्शन अभियान्त्रिक विभाग द्वारा प्रदान किए जाते थे । सहायक जनसूचना अधिकारी ने बताया कि अपीलकर्त्ता के पास प्लॉट के मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेज नहीं हैं इस कारण कथित प्लॉट में जल कनैक्शन देना सम्थव नहीं है । अतः अपीलकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे या तो क्षेत्रीय अभियन्ता (प0)–II, मोती नगर कार्यालय में जाकर अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करें या केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील दायर करें !

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

EXECUTIVE ENGINEER
Dy. No. 69
Date 30/12/15

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री जगदम्बा प्रसाद दूबे, झुग्गी सं0 बी–58 / 825, रामा रोड, नई दिल्ली–110015.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) प0 / उ0प0 ।
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)–II, पंजाबी बाग ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi
प्रथम अपीलीय अधिकारी

Shi Jagdamba Prasad